न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–36/2014–15

शैलेश कुमार **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
5.4.18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद शैलेश कुमार, पिता राम प्रवेश दास, ग्राम–माधोपुर, थाना–मनेर, जिला–पटना जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 97/07(रद्द) ई0सी0 अपील वाद सं0 36/2014–15 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 735(आ0) दिनांक 19.08.2013 के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6 के अंतर्गत दिनांक 30.06.2014 को अपील आवेदन दाखिल किया। दिनांक 03.07.2014 को अपीलकर्ता बार–बार पुकारने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए। तदोपरान्त अंतिम मौका देते हुए अगली तिथि 28.08.2014 एवं तदोपरान्त 25.09.14 निर्धारित की गई। दिनांक 25.09.2014 को अपीलकर्ता बार–बार पुकार करने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अंत में अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया। आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा ई0सी0 रिवीजन वाद सं0 68/17 में दिनांक 01.08.2017 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। आयुक्त के न्यायालय में प्रश्नगत वाद में निर्देश दिया गया कि विधिवत सुनवाई कर, गुण–दोष के आधार पर सकारण आदेश (Reasoned Order) पारित किया जाय। उक्त के आलोक में दिनांक 02.11.17 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर पूर्व से संधारित ई0सी0 अपील वाद सं0 26/2014–15 को पुनर्जीवित किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। अगली तिथि 09.12.2017 निर्धारित की गयी। अपीलकर्ता का अपील आवेदन में कहना है कि अनुज्ञप्ति सं0 19/93 (पुराना) एवं नया 97/07 से माधोपुर पंचायत हेतु जन वितरण प्रणाली के दुकान निर्गत किया गया। जिसे अपीलकर्ता सुचारू रूप से संचालन कर रहा था। अनुज्ञप्ति अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्ति सं0 30.09.2007 को निर्गत हुआ था। जो दिनांक 29.09.2012 तक वैधता समाप्ति के पश्चात्	

नवीकरण जानकारी के अभाव में नहीं कराया गया। जब अपीलकर्ता को जानकारी हुई, तो विलम्ब शुल्क के साथ 800/– (आठ सौ) रूपये दानापुर कोषागार में दिनांक 24.07.2013 को जमा किया। चालान की छाया–प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर को समर्पित करते हुए, उनके द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु अनुरोध किया गया। इसके बाद अपीलकर्ता नवीकरण होने का इंतजार करते रहें, परन्तु अपीलकर्ता के अनुरोध को स्वीकार न कर अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर ने आदेश ज्ञापांक 736 दिनांक 19.08.2013 द्वारा अनुज्ञप्ति सं0 97/07 को रद्द कर दिया गया। इसके पश्चात् भी अपीलकर्ता को दिनांक 19.08.2013 तक खाद्यान्न आवंटित होता रहा। अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व अपीलकर्ता से कोई स्पष्टीकरण की मांग नहीं की गयी और न हीं सुनवाई का मौका दिया गया। यह नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। अपीलकर्ता का कहना है कि समान आरोप ई0सी0 अपील वाद सं0 33/2013–14 में न्यायालय द्वारा अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित किया गया। इस प्रकार अपीलकर्ता का समान अधिकार बनता है। अंत में अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए, अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को दिनांक 16.03.2018 को विस्तापूर्वक सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए कहा गया कि पूर्व में अपील आवेदन को खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं था। आयुक्त, न्यायालय द्वारा उक्त आलोक में रिवीजन वाद को स्वीकृत करते हुए गुण–दोष के आधार पर विचारण हेतु इस मामले को अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। उनके द्वारा अपील स्वीकृत कर अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि अपीलकर्ता के द्वारा अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6 के अंतर्गत दायर किया गया, जो गलत है। इसलिए अपील आवेदन खारिज योग्य है। आगे उनका कथन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित GSR(i) दिनांक 20.02.2007 के प्रावधानानुसार अनुज्ञप्ति नवीकरण की निर्धारित अवधि के पश्चात् 8 (आठ) माह तक विलम्ब शुल्क जमा करने पर नवीकरण किया

जा सकता है। अपीलकर्ता द्वारा आठ माह तक विलम्ब शुल्क के साथ नवीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमसंगत है। उनके द्वारा अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अपील आवेदन, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्क के परिशीलन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति 29.09.2012 तक वैध थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 की कंडिका 2.8 (ख) के आलोक में विलम्ब शुल्क के साथ नवीकरण शुल्क उनके द्वारा आठ माह के अन्दर अर्थात 29.05.2013 तक जमा किया जाना था। उन्होनें अपील आवेदन में स्वंय अंकित किया है, नवीकरण शुल्क उनके द्वारा 24.07.2013 को जमा किया गया, जो आठ माह के बाद है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर का आदेश ज्ञापांक 735 (आ0) दिनांक 19.08.2013 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।